भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2881

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2021 को दिया जाना है

नई खदानों के लिए लाइसेंस

2881. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष के दौरान सरकार ने कितनी नई खदानों को लाइसेंस जारी किया है;

(ख) वर्तमान में देश में कोयले का कुल भंडार कितना है; और

(ग) क्या सरकार की कोयले के खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : केंद्र सरकार कोयले के लिए कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा जारी नहीं करती है। अत:, नई कोयला खानों के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(ख) : दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत की कोयला इंवेंटरी के अनुसार देश का कुल कोयला संसाधन 344020 मिलियन टन है।

(ग) : सरकार ने 18.09.2019 को कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है जिसमें कोयले की बिक्री, कोयला खनन कार्यकलापों हेतु ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है जिसमें सीएमएसपी अधिनियम, 2015 [कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015] और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 [खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957] में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों एवं विषय से संबंधित अन्य संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अध्ययधीन संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना शामिल है। संबंधित प्रसंस्करण अवसरंचना में कोयला वॉशरी, कोयला रख-रखाव तथा सैप्रेशन (मैग्नेटिक तथा नॉन मैग्नेटिक) शामिल है।

*****